निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 11 / 2022 तारीख दायरा 10.02.2022

उनवान

1. हेमन्त रायका उर्फ हिम्मतराज पुत्र जोधराज जाति रेबारी निवासी ग्राम ढाणी उर्फ नयागांव तहसील सांगोद हाल निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. मुकेशबाई उर्फ मुकेशीबाई पुत्री जोधराज पतनी अर्जुनलाल जाति रेबारी निवासी ढाणी उर्फ नयागांव हाल निवासी बरखेडा गंगासा तहसील गरोठ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश।
3. नीरू उर्फ मीरा पुत्री जोधराज पत्नी भीमराज जाति रेबारी निवासी ढाणी उर्फ नयागांव तहसील सांगोद हाल भीम का खेडा बून्दी जिला बून्दी। – वादीगण

बनाम

1. भीमराज पुत्र जोधराज जाति रेबारी।
2. रामचरण पुत्र जोधराज जाति रेबारी।
3. शंभूबाई बेवा जोधराज जाति रेबारी निवासीगण ग्राम ढाणी उर्फ नयागांव तहसील सांगोद हाल निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण) **दिनांक :– 12.03.2022**

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादीगण)

1 रु. कोर्ट फी COURT FEE Re.1 भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

--निर्णय--

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम ढाणी उर्फ नयागांव पटवार हलका लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 14 के खसरा न0 115 की 0.02 हैक्टर, खसरा न0 135 की 1.36 हैक्टर, खसरा न0 92 की 0.16 हैक्टर कुल किता 3 की 1.54 हैक्टर आराजीयात स्थित है जिसको वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 3 शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता श्री जोधराज की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी न0 2 रामचरण द्वारा फौती नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी न0 2 द्वारा वादीगण के दस्तावेज के आधार पर शपथ पत्र न देकर घर के बोलते नाम लिखकर वादी न0 1 हेमन्त रायका के स्थान पर हिम्मतराज और मुकेशबाई के स्थान पर मुकेशीबाई व नीरू के स्थान पर मीराबाई सहवन से दर्ज करवाये और उसी के आधार पर नामान्तरण दर्ज हो गया जिससे वादीगण को अपने नाम गलत होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा वादीगण न तो अपनी आराजी का विकास कार्य करवा पा रहे हैं और न ही सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/सहायता राशि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद नाम शुद्वि करवाने के लिए पटवारी हलका से मिलने पर तथा नाम शुद्वि करने की कहने पर पटवारी हलका द्वारा उक्त नाम शुद्वि करने मे अपनी असमर्थता जाहिर की तथा न्यायालय से ही नाम

शुद्वि करवाने की घोषणा करवाने की कहने पर माननीय न्यायालय में उक्त वाद वास्ते नाम शुद्वि घोषणा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होने से वाद प्रस्तुत किया गया।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। दिनांक 12.03.2022 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। प्रतिवादी न0 1 ता 3 की ओर से वकील श्री अमित पांचाल ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की है तथा प्रतिवादी न0 4 द्वारा वादीगण के वाद से कोई राजहित प्रभावित नहीं होने तथा पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करायी है। वादीगण द्वारा अपना शपथ पत्र बयान प्रस्तुत किया गया व अन्य सहखातेदार प्रतिवादी रामचरण के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

बहस वकील वादीगण सुनी जाकर पत्रावली का पर उपलब्ध दस्तावेज, रेकार्ड, जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा, पटवारी रिपोर्ट एवं जवाब सरकार आदि का गहनता से अवलोकन करने पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य पाऐ जाने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम ढाणी उर्फ नयागांव पटवार हलका लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में स्थित खाता स0 नई 14 के खसरा न0 115 की 0.02 हैक्टर, खसरा न0 135 की 1.36 हैक्टर, खसरा न0 92 की 0.16 हैक्टर कुल किता 3 की 1.54 हैक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में दर्ज गलत नाम हिम्मतराज के स्थान पर हेमन्त रायका, मुकेशीबाई के स्थान पर मुकेश बाई व मीराबाई के स्थान पर नीरू दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक का चार्ज

प्रमाणित प्रतिलिपि 3

प्रभारी अधिकारी, नकल

पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादीगण स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 11/2022

तारीख दायरा 10.02.2022

उनवान

1. हेमन्त रायका उर्फ हिम्मतराज पुत्र जोधराज जाति रेबारी निवासी ग्राम ढाणी उर्फ नयागांव तहसील सांगोद हाल निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. मुकेशबाई उर्फ मुकेशीबाई पुत्री जोधराज पतनी अर्जुनलाल जाति रेबारी निवासी ढाणी उर्फ नयागांव हाल निवासी बरखेडा गंगासा तहसील गरोठ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश।
3. नीरू उर्फ मीरा पुत्री जोधराज पत्नी भीमराज जाति रेबारी निवासी ढाणी उर्फ नयागांव तहसील सांगोद हाल भीम का खेडा बून्दी जिला बून्दी। – वादीगण

बनाम

1. भीमराज पुत्र जोधराज जाति रेबारी।
2. रामचरण पुत्र जोधराज जाति रेबारी।
3. शंभूबाई बेवा जोधराज जाति रेबारी निवासीगण ग्राम ढाणी उर्फ नयागांव तहसील सांगोद हाल निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उपस्थित :—

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :— 12.03.2022

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री सुशील कुमार शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि —

माल ग्राम ढाणी उर्फ नयागांव पटवार हलका लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में स्थित खाता स0 नई 14 के खसरा न0 115 की 0.02 हैक्टर, खसरा न0 135 की 1.36 हैक्टर, खसरा न0 92 की 0.16 हैक्टर कुल किता 3 की 1.54 हैक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में दर्ज गलत नाम हिम्मतराज के स्थान पर हेमन्त रायका, मुकेशीबाई के स्थान पर मुकेश बाई व मीराबाई के स्थान पर नीरू दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक का चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक–2022/385 दिनांक– 9/5/22

तहसीलदार,
तहसील सांगोद।

विषयः– इजराय संख्या 47/2022 उनवान हेमन्त रायका बनाम भीमराज मुताबिक निर्णय पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं0 11/2022 उनवान हेमन्त रायका बनाम भीमराज के न्यायालय में दिनांक 12.3.22 को निर्णय–डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 24/6/22 से पूर्व पालना करना सुनिश्चित करें।

सलंग्न–
निर्णय–डिक्री की छाया प्रति

अंजना सहरावत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

47/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक / LR / 2023 / 851 दिनांक– 20/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः– न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 11/2022 उनवान हेमना राकमा / श्रीमराज में जारी डिक्री दिनांक. 12/3/22 की पालना में ग्राम ढाणी / [illegible] में नामान्तरकरण सं. 150 दिनांक 28/7/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

ाम का नाम :- ढाणीउर्फ़नयागांव
वार हल्का :- लटूरा
.अभि.नि. :- लटूरी
सील :- साँगोद
ला :- कोटा

सम्वत :- 2076 - 2079
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 14
खाता संख्या पुराना :- 15

ातेदार का नाम:-
1. नीरू पुत्री जोधराज हिस्सा- 1/6 जाति- रेबारी सा. ढाणी खातेदार
2. भीमराज पुत्र जोधराज हिस्सा- 1/6 जाति- रेबारी सा. ढाणी खातेदार
3. मुकेश बाई पुत्री जोधराज हिस्सा- 1/6 जाति- रेबारी सा. ढाणी खातेदार
4. रामचरण पुत्र जोधराज हिस्सा- 1/6 जाति- रेबारी सा. ढाणी खातेदार
5. शंभूबाई पत्नि स्व. जोधराज हिस्सा- 1/6 जाति- रेबारी सा. ढाणी खातेदार
6. हेमंत रायका पुत्र जोधराज हिस्सा- 1/6 जाति- रेबारी सा. ढाणी खातेदार,

ा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
15	0.0200	बारानी प्रथम	0.0200	0.16		स्वीक्रत नामांतरकरण : 141 12/01/2022 विरासत स्वीक्रत नामांतरकरण : 150 28/07/2022 न्याया. आदेश	
5	1.3600	बारानी तृतीय	1.3600	5.44			
2	0.1600	बारानी तृतीय	0.1600	0.64			
नंबर - 3	1.5400		1.5400	6.2400			

ह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
का उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

NIC